मैसर्स ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा "Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project" कुल खनन पट्टो की संख्या–8 (प्रस्तावित खनन पट्टे –3 व मौजूदा खनन पट्टे –5), क्लस्टर क्षेत्रफल–37.9149 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता– 63,09,553 टन प्रतिवर्ष (रोम), तहसील–रामगंजमण्डी, जिला–कोटा हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 11 जून 2024 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक के कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)।

वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14–09–2006, क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र क्रमांक आर.पी.सी.बी./आर.ओ. कोटा/माईन्स–233/3026–28 दिनांक 30/01/2024 व कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा के आदेश पत्र क्रमांक प.2( ) राजस्व–II/जनसुनवाई/24/712 दिनांक 26/03/2024 की अनुपालना में मैसर्स ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा "Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project" कुल खनन पट्टो की संख्या–8, क्लस्टर क्षेत्रफल–37.9149 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–63,09,553 टन प्रतिवर्ष (रोम), तहसील–रामगंजमण्डी, जिला–कोटा की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 11.06.2024 को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र," ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील–रामगंजमण्डी, जिला–कोटा में प्रातः 11:00 बजे राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा द्वारा श्री मुकेश कुमार चौधरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), जिला–कोटा की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित की गई।

जन सुनवाई के लिए आम सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों क्रमशः राजस्थान पत्रिका, कोटा में दिनांक 06.05.2024, (परिशिष्ट–अ) एवं निरीक्षक, कोटा में दिनांक 01.05.2024, (परिशिष्ट–ब) को प्रकाशित करवाई गयी, प्रचार–प्रसार हेतु क्षेत्र में बैनर लगाए गए तथा दिनांक 30.06.2024 को वाहन के माध्यम से प्रचार–प्रसार भी करवाया गया। जन सामान्य से आक्षेप/सुझाव सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर तक आमंत्रित किये गए थे।

जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारी–गण व क्षेत्र के ग्रामवासी व अन्य की उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (परिशिष्ट–'स') तथा जन सुनवाई की वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफ्स सलंग्न है (परिशिष्ट–'द')।

जन सुनवाई मैसर्स ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रामगंजमण्डी, जिला– कोटा के "Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project" के अन्तर्गत आने वाली कुल 8 खनन पट्टों जिनमें 3 प्रस्तावित व 5 मौजूदा खनन पट्टे है के लिए आयोजित कि गई है। उक्त 8 खनन पट्टो कि विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार है–

Sr. No.	Name of Applicant	Location	Area in Hectare	Mineral	Proposed/ existing Production Capacity	M.L No	Tor Details
1	**M/s ASI Industries Ltd.**	**Kumbhkot**	**6.7184**	**Lime Stone (Dimensional)**	**Proposed 754061 TPA (ROM)**	**M.L.No.11/2022, Ref.No.: 20221000063063**	**(LOI) SEIAA Letter No. F1(4)/SEIAA/SEAC-Raj/ Sectt/ Project/Cat.B1 (23441)/2023-24 dated 09/10/2023**

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

2	M/s ASI Industries Ltd.	Laxmipura	7.3234	Lime Stone (Dimensional)	Proposed 623176 TPA (ROM)	M.L.No.: 10/2022, Ref.No. 20221000063060	(LOI) SEIAA Letter No. F1(4)/SEIAA/SEAC Raj/ Sectt/ Project /Cat.B1 (23419)/2021-22 dated 06/12/2023
3	M/s ASI Industries Ltd.	Satalkheri, Durjanpura & Kudayala	3.9971	Lime Stone (Dimensional)	Proposed 1125220 TPA (ROM)	M.L.No.: 05/2022, Ref.No 20221000060162	(LOI) SEIAA File No. AT000333 dated 23/08/2023
4	M/s ASI Industries Ltd.	Durjanpura	3.9854	Lime Stone (Dimensional)	Existing 802432 TPA (ROM)	M.L.No.:07/2018	(Existing) EC Granted
5	M/s ASI Industries Ltd.	Durjanpura	3.9958	Lime Stone (Dimensional)	Existing 1009560 TPA (ROM)	M.L.No.:06/2018	(Existing) EC Granted
6	M/s ASI Industries Ltd.	Durjanpura	3.9994	Lime Stone (Dimensional)	Existing 1087498 TPA (ROM)	M.L.No.:04/2018	(Existing) EC Granted
7	M/s ASI Industries Ltd.	Durjanpura	3.8954	Lime Stone (Dimensional)	Existing 571882 TPA (ROM)	M.L.No.:05/2018	(Existing) EC Granted
8	M/s ASI Industries Ltd.	Kumbhkot	4.0000	Lime Stone (Dimensional)	Existing 335724 TPA (ROM)	M.L.No.:05/2013	(Existing) EC Granted
Total			37.9149		6309553 TPA (ROM)		

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही को आरंभ करते हुए श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने सभी आगन्तुको का स्वागत किया। उन्होने मैसर्स ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा "Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project" तहसील–रामगंजमण्डी, जिला–कोटा में प्रस्तावित परियोजना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए संबंधित प्रावधानों तथा जनसुनवाई के उद्देश्यो के बारे में अवगत करवाया।

श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार मैसर्स एन.एस. इन्वायरो–टेक लैबोरेट्रीज व कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर के प्रतिनिधि श्री नरेन्द्र सिंह नरूका को प्रस्तावित परियोजना के बारे में प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तृत जानकारी देने हेतु आमंत्रित किया।

इसके बाद पर्यावरणीय सलाहकार ने परियोजना से संबंधित निम्नलिखित विवरण विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किए।

परियोजना का परिचय, परियोजना का प्रस्ताव, परियोजना की स्थिति, भौगोलिक स्थान स्थानीय भू–वैज्ञानिकी, सर्फेस प्लान, खनन प्रक्रिया के प्रकार, खनन क्षेत्र की विस्तृत जानकारी, मौसम मापन जलवायु सूचना अध्ययन, विद्यमान पर्यावरणीय दृश्य, सामाजिक आर्थिक पर्यावरण अध्ययन, भू–जल स्तर अध्ययन, खनन क्षेत्र की (वर्तमान, खनन के दौरान एवं खनन पश्चात्) जमीन के उपयोग संबंधी अध्ययन, पर्यावरणीय प्रभाव का पूर्वानुमान एवं विपरीत प्रभाव कम करने के तरीके, पर्यावरण मॉनिटरिंग कार्यक्रम, वृक्षारोपण एवं सामाजिक कार्यक्रम तथा पर्यावरण प्रदूषण रोकने व विकास कार्य हेतु खर्च की जाने वाली राशि के बारे में विस्तृत रूप से प्रोजेक्टर के माध्यम से जन सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय को बताया गया।

तत्पश्चात् श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा द्वारा परियोजना प्रस्ताव से आग्रह किया गया कि उनकी मौजूदा खनन पट्टा संख्या 94/08 में आमागी वर्षा ऋतु

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियंत्रण मण्डल, कोटा

से पहले जमीन को चिन्हित करके राजस्थान सरकार की वनों के बाहर वृक्षारोपण (TOFIR) योजना के तहत सघन वृक्षारोपण किया जावें तथा इकाई के मौजूदा खनन पट्टों के ओवरबर्डन पर सीडिंग करायी जावें।

इसके पश्चात श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने उपस्थित ग्रामवासियों, जन समुदाय को उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने का आग्रह किया।

उपस्थित जन समुदाय से जन प्रतिनिधि गण एवं अन्य जनों ने अपने प्रश्न/संशय/आपत्तियाँ/सुझाव प्रस्तुत किये जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

1. **श्री गुमान सिंह, सरपंच, ग्राम लक्ष्मीपुरा द्वारा पूछा गया कि:–**
   - **कंपनी द्वारा कितने पौधे लगाए गए व कहाँ लगाए गए।**
   - **कंपनी द्वारा मजदूरों की सुरक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि के लिए क्या किया जा रहा है।**
   - **पूर्व जन सुनवाई के दौरान जो वादे किये गए उनका क्या हुआ।**

➢ श्री मुकेश कुमार चौधरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा दी गई प्रस्तुतीकरण के आधार पर बताया गया की परियोजना के अंतर्गत 12000 पौधे लगाया जाना प्रस्तावित है तथा पौधे आप द्वारा चिन्हित स्थानों पर भी लगाए जायेंगे जिससे आप सुनिश्चित कर सकेंगे की पौधे लगे या नहीं।

➢ श्री नरेंद्र सिंह नरुका पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया की भारत सरकार द्वारा गाईडलाइन जारी की गई है जिसके अंतर्गत पहले जनसुनवाई कर ग्रामवासियों की समस्या सुनी जाये तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा जो प्रस्ताव सुझाये गए है जैसे की श्रमिकों के लिए हेलमेट, हर छः महीनो में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना, सामाजिक सरोकार के तहत जो राशि निर्धारित की गयी है उससे प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करवाये जायेंगे तथा उसकी अनुपालना रिपोर्ट सम्बंधित विभाग में जमा कराई जाएगी जो आपको भी उपलब्ध कराई जा सकती है। यह सब कार्य पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने उपरांत खनन कार्य प्रारम्भ करने के दौरान किये जायेंगे। इन सबके अतिरिक्त भी यदि आपके कोई अन्य सुझाव है तो आप लिखित में दे सकते है।

➢ श्री नरेंद्र सिंह नरुका पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया की पूर्व की जनसुनवाई इस परियोजना से सम्बंधित नहीं थी तथा वर्तमान में प्रस्तावित पारियोजना में प्रावधान रहेगा की सामाजिक सरोकार के व्यय करने के बाद उसकी एक प्रति व वृक्षारोपण फोटो अनुपालना रिपोर्ट के साथ भेज दी जाएगी।

श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा बताया गया की इस प्रस्ताव की एक प्रति ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय, जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित की गई है। आप जरुरत के अनुसार इन विभाग से प्रति प्राप्त कर सकते है। वर्तमान में यह परियाजना प्रस्तावित है और यदि संचालन के दौरान प्रस्ताव अनुरूप कार्य नहीं किये जाते है तो आप हमे इस सम्बन्ध में लिखित में दे सकते है। इसके अतिरिक्त मौजूदा खनन पट्टों की शिकायत के सम्बन्ध में आक्षेप अलग से दिए जावें।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

2. ग्राम पंचायत, लक्ष्मीपुरा द्वारा प्रस्तुत तीन लिखित आक्षेप के सम्बन्ध में श्री मुकेश कुमार चौधरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा बताया गया की प्रस्तुत आक्षेप में मुख्य रूप से गाँवो में मूलभूत सुविधाओं जैसे पीने के पानी की कमी, स्कूलों में क्लासरूम न बनवाने तथा कंपनी द्वारा पर्यावरण के लिए कभी पेड़ पौधे नहीं लगाए जाने का जिक्र किया हुआ है।

श्री एस .एम. मीना, महाप्रबंधक (ऑपरेशन), ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया कि कंपनी द्वारा अधिकांश पौधारोपण हमारे खान के मलवे के ऊपर किये गए है। प्रस्तावित परियोजना के लिए ग्राम पंचायतो द्वारा जमीन व् जगह चिन्हित करके दी जाती है तो उस पर हम वृक्षारोपण करेंगे।

श्री गुमान सिंह, सरपंच, ग्राम लक्ष्मीपुरा द्वारा सुझाव दिया कि लक्ष्मीपुरा गाँव में एक चारागाह भूमि के चारो और पत्थर की कोट की हुई है जिसमे कटीली झाड़ियाँ साफ कर अच्छी मिट्टी डालते हुए उपयोगी पौधे लगाए जाये जो आम जान के लिए भी काम आये व पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयोगी हो।

श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि पीने के पानी की उपलब्धता के लिए कंपनी द्वारा एक वाटर कूलर सरपंच द्वारा जगह चिन्हित करके लगाया जाए जिसके लिए कम्पनी प्रतिनिधि श्री पवन सोनी ने वाटर कूलर लगाने की सहमति दी तथा साथ में बताया कि स्कूल में एक क्लासरूम बनाने का प्रयास किया जायेगा।

3. **श्री भरत सिंह, ग्राम लक्ष्मीपुरा द्वारा पूछा गया की कंपनी द्वारा सामाजिक सरोकार के अर्न्तगत कितना खर्च किया जायेगा।**

श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा बताया गया कि इसमें कंपनी द्वारा खनन कार्यो से होने वाले कुल लाभ का 2% सामाजिक सरोकार के तहत सम्बंधित गावों में व्यय किया जाता है।

4. **श्री गुमान सिंह, सरपंच, ग्राम लक्ष्मीपुरा द्वारा कहा गया की कंपनी द्वारा 2 वर्ष पूर्व हुई जनसुनवाई में किये वादे आज तक अमल में नहीं लाये गए है।**

श्री एस. एम. मीना, महाप्रबंधक (ऑपरेशन), ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया कि जिन खानों की जनसुनवाई हुई थी उन खानों में अभी मलवा ही निकाला जा रहा है तथा उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, जब उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा तब सामाजिक सरोकार के अंतर्गत् प्रस्तावित खर्चे किये जायेंगे।
श्री सुधीर टाईवाला उपमहाप्रबंधक (ऑपरेशन), ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया कि कंपनी द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट में भी राशि जमा कराई जाती है जिसमे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी शामिल होते है। इसके अतिरिक्त जिन खनन पट्टों के सम्बन्ध में 2 वर्ष पूर्व जन सुनवाई हुई थी उनमे खनन कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है जिसे आपको सत्यापित कराया जाएगा।
इसके अतिरिक्त कंपनी प्रतिनिधि द्वारा कहा गया की प्रस्तावित परियोजना में हमारे द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए है उनकी अनुपालना रिपोर्ट आपसे सत्यापित कराकर ही सम्बंधित विभाग को भेजी जाएगी।

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

5. श्री अनिल सिंघल, उपखण्ड अधिकारी, तहसील रामगंजमण्डी द्वारा बताया गया की जब खनन कार्य पूर्ण हो जाता है तब समर्पण में खान को जमीन तक समतल करके उस पर मिट्टी डालकर पोधारोपण किया जाता है। कंपनी द्वारा समर्पण भाग का समतलीकरण किया गया है अथवा नहीं?

श्री सुधीर टाईवाला उपमहाप्रबंधक (ऑपरेशन), ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया कि कंपनी में अभी खनन कार्य चालू स्थिति में है जब खनन कार्य पूर्ण हो जाएगा तब इसको समतलीकरण करके पोधा रोपण किया जाएगा। उपखण्ड अधिकारी द्वारा सुझाव दिया गया कि चारागाह भूमि पर भी पोधारोपण किया जा सकता है।

6. श्री सुनील गौतम ने कहा कि कंपनी द्वारा सुकेत गाँव में कोई विकास कार्य नहीं किये जाते हैं।

श्री अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा ने बताया कि यह प्रस्तावित परियोजना ग्राम लक्ष्मीपुरा, सातलखेड़ी, कुदायला व् कुम्भकोट में आती है व इसमे सुकेत गाँव नहीं आता है। अतः पुरानी परियोजना की कोई भी शिकायत है तो अलग से विभाग को प्रेषित कर सकते है।

7. श्री मुकेश मीना, सरपंच, ग्राम कुदायला द्वारा कहा गया कि:–

- आस पास की फैक्ट्रीयो द्वारा मलवा कुदायला के नाले में फेका जा रहा है जिससे वर्षा ऋतू में पानी का भराव हो जाता है जिसके कारण ग्रामवासियों के घरो में पानी भर जाता है।
- कंपनी द्वारा एक गोबर से लकड़ी बनाने वाली मशीन उपलब्ध करवाई जाए ताकि आस पास के मंदिरो व शमशान घाटो में मुफ्त लकड़ी दे सकें।

➢ श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जो मलवा फेक्ट्रीयो द्वारा नाले में फेंका गया है उसको वर्षा ऋतू से पूर्व हटा दिया जाये तथा आस पास की फेक्ट्रीयो को सख्त निर्देश दिए जाये की नाले में मलवा नहीं डाले अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त फेक्ट्रीया इस परियोजना से सम्बंधित नहीं है।

➢ श्री एस. सी. गुप्ता उपमहाप्रबंधक (मेटेरियल), ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा कि कंपनी के पास भी एक मशीन है जिससे गोबर की लकड़ी बनाई जा रही है जिसे गायत्री मंदिर और रामगंजमंडी शमशान घाट में निशुल्क दी जाती है। आप कंपनी में आकर मशीन का अवलोकन कर ले और यदि यह मशीन इनके उपयोग में आ सके तो कंपनी द्वारा गोशाला के लिए मशीन उपलब्ध करवा दी जायेगी।

8. श्री भरत सिंह, ग्राम लक्ष्मीपुरा द्वारा सुझाव दिया गया की क्षेत्र में एक किलोमीटर लम्बा नाला है और यदि कंपनी वर्षा पश्चात इसमें पानी छोड़ दे तो इससे इस नाले के बीच में आने वाली लक्ष्मीपुरा के किसानों की 500 बीघा जमीन में फलंदार वृक्ष लगाए जा सकते है।

श्री एस. एम. मीना, महाप्रबंधक (ऑपरेशन), ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया की कंपनी द्वारा बारिश के बाद खान का पानी इस नाले में छोड़ दिया जाएगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

9. ग्राम पंचायत, खान सातलखेड़ी द्वारा प्रस्तुत लिखित आक्षेप के सम्बन्ध में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा कंपनी प्रतिनिधि से उनके मौजूदा खनन पट्टों मे अवैध ब्लास्टिंग तथा कंपनी द्वारा की जाने वाली सुखी ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग से उड़ने वाली धूल मिट्टी से होने वाली श्वास सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में पूछा गया।

श्री एस. एम. मीना, महाप्रबंधक (ऑपरेशन), ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया कि यह प्रश्न प्रस्तावित परियोजना से संबंधित नहीं है। कंपनी द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशालय के द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार के अंतर्गत ही वेट ड्रिलिंग व् नियंत्रित ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो, इसके लिए कम्पनी CIMFR से अध्ययन कराने के बाद दिए उनके सुझावों के अनुसार ही नियंत्रित ब्लास्टिंग कर रही है।

10. श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पूछा गया की खनन कार्यो के दौरान यदि कोई अंग भंग अथवा दुर्घटना हो जाये तो उन्हें मुआवजा कैसे दिया जाता है।

श्री पवन सोनी, प्रतिनिधि, ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया की कार्य के दौरान चोट लगने पर कानून के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दे दिया जाता है। दुर्घटना होने पर कानूनन तथा आपसी समझोते के अनुसार मुआवजा का भुगतान तुरंत कर दिया जाता है।

11. श्री मुकेश गोठवाल, ग्राम सातलखेड़ी द्वारा पूछा गया कि:–

- कंपनी द्वारा एक टेंकर से ही पानी छिडकाव किया जाता है जो अपर्याप्त है।
- कंपनी द्वारा सातलखेडी गाँव के लिए क्या किया गया।

  - श्री एस. एम. मीना, महाप्रबंधक (ऑपरेशन), ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा की कंपनी के पास 4 टैंकर थे जिनमें से 3 टैंकर उपयोग में लेने योग्य नहीं थे इसलिए उनको हटाया गया है, बारिश के बाद आवश्यकता अनुसार टेंकरों की संख्या में वृद्धि करके पानी के छिडकाव की समुचित व्यवस्था कर दी जायेगी।
  - श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि प्रस्ताव के अनुसार कंपनी द्वारा स्कूल में दो कम्प्यूटर व प्रिंटर तथा सातलखेडी, दुर्जनपुरा व कुदायला में एक–एक वाटर कूलर लगाये जायेंगे। इसके अलावा गांवों में चौपाल के निर्माण सहित 1.50 लाख की राशी तक के कार्य करवाये जायेंगे।

12. श्री गुमान सिंह, सरपंच, ग्राम लक्ष्मीपुरा द्वारा कहा गया कि:–

- आस पास के गाँव में कंपनी द्वारा सार्वजनिक सुलभ शोचालय बनवाये जाए जिसके रखरखाव के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाए।
- कंपनी द्वारा पूर्व में मेले का आयोजन कराया जाता था जिसमें सुरक्षा व बिजली की व्यवस्था कंपनी द्वारा कराई जाती थी किन्तु वर्तमान में कंपनी द्वारा मेले का आयोजन नहीं कराया जाता है।

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

क्षैत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण
नियन्त्रण मण्डल, कोटा

- श्री एस. सी .गुप्ता, उपमहाप्रबंधक (मेटेरियल), ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया कि कंपनी द्वारा पूर्व में भी सार्वजानिक शोचालय बनाए गए थे जो पंचायत द्वारा रख रखाव के आभाव में काम लेने योग्य नहीं रहते है तथा कुछ समय पश्चात् इनको तोड़ फोड़ दिया जाता है। फिर भी कंपनी द्वारा प्रस्तावित परियोजना में सार्वजानिक शोचालयो का निर्माण करवाया जायेगा जिसके रख रखाव की जिम्मेदारी स्थानीय पंचायत की होगी।
- श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर ने कंपनी प्रतिनिधियों को शिवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन कराये जाने के निर्देश दिए।
- श्री एस. सी .गुप्ता, उपमहाप्रबंधक (मेटेरियल), ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया की पूर्व की भाँती शिवरात्री मेले में कंपनी द्वारा सुरक्षा व बिजली की व्यवस्था कर दी जायेगी।

उक्त लोक जनसुनवाई के दौरान चार लिखित प्रतिवेदन/सुझाव पत्र प्राप्त हुए है, जो सलंग्न है (परिशिष्ट–य) जिन पर चर्चा जनसुनवाई के दौरान की गयी।

इसके पश्चात अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा तथा क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंण्डल, कोटा द्वारा उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जन सुनवाई आयोजन की समाप्ति की घोषणा की गयी।

(अमित सोनी)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कोटा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
जिला कोटा राजस्थान

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटा

परिशिष्ट–स

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Proposed Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project, 08 mining leases having total Cluster Area -- 37.9149 Hectare, Tehsil-Ramganjmandi, District-Kota" के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) कोटा की अध्यक्षता में दिनांक 11.06.2024 को समय प्रातः 11:00 बजे भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र," ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील–रामगंजमण्डी, जिला–कोटा में आयोजित जन सुनवाई की उपस्थिति पंजिका

क. स.	नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर
1	Sh. Mukesh Chowdhary, ADM, Kota	[illegible]
2	अमित सोनी क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. कोटा	[illegible]
3	अनुराग सिंह, AEE, RSPCB, Kota	[illegible]
4	सुषमा कुमारी सरपंच सातलखेड़ी	[illegible]
5	उमरावसिंह सरपंच लक्ष्मीपुरा	[illegible]
6	रामलाल कुमावत [illegible]	[illegible]
7	जानकीलाल कुमावत	[illegible]
8	सुरेन्द्रसिंह,	सुरेन्द्रसिंह
9	पृथ्वीचंद कुमावत	[illegible]
10	धनराज सिंह	धनराज नागर
11	प्रमोद कुमार	[illegible]
12	Naveendra Singh Narwat, Consultant	[illegible]
13	Shiv Kumar N.S. Staff.	[illegible]

14	Sudhir Kumar Tinwala	
15	S.M. Meena.	
16	S.C. Gupta	
17	R. S Sharma	
18	B. S. Hada	
19	Chiranji Lal	
20	Dayal Singh Rajawat	
21	Surendra kr Patidar	
22	Vikram Singh Shekhawat Manager (Envo)	
23	Chirag Gautam	
24	LOKESH NAMDEV	
25	PAVAN SONI	
26	A.M. Khan. / SO	
27	S.L. Sharma (Sr. MGR. HR)	
28	Upendra Thakur	
29	Ankur Kumar	
30	Dharmveer Singh	
31	Kishanu kumar	
32	SANJAY KUMAR BAGWAN	
33	Mukesh Sahu	

34	घनश्याम सन्धानिया	घनश्याम
35	भेरुलाल सिंह सिसोदिया	[illegible]
36	हिरालाल	hiralal
37	आशुतोष	Ashutosh
38	सुरेश कुमार	[illegible]
39	दुर्गाशंकर सोनी	दुर्गाशं[illegible]
40	राधेश्याम	[illegible]
41	[illegible]कान्त	[illegible]
42	कालूलाल	[illegible]
43	योगेन्द्र सिंह झाला	yogendra Thakur
44	चन्द्रमुकुट थावरा.	[illegible]
45	मनीष माहेश्वरी	[illegible]
46	सलमान	Salman
47	तारा चन्द	[illegible]
48	सत्यनारायण	सत्यनारायण
49	डालूलाल	[illegible]
50	श्याम महावर	[illegible]
51	राधेश्याम [illegible]	[illegible]
52	गोपाल सिंह	[illegible]
53	Rajendra Singh	[illegible]

~~74~~ 54	Shivanarayan	[illegible signature]
~~75~~ 55	SHANKAR [illegible]	[illegible signature]
~~76~~ 56	[illegible] (सरपंच [illegible])	[illegible signature]
77		
78		
79		
80		

19 जोड़ों का एक साथ हुआ निकाह

इटावा @ पत्रिका. नगर में रविवार को मुस्लिम गद्दी लोहार का सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ। इसमें क्षेत्र से आए 19 जोड़ों का निकाह संपन्न हुआ। इज्तिमाही सम्मेलन के सदर एमबी नसरुद्दीन लोहार ने बताया कि इटावा में गद्दी लोहारान का दूसरा सामूहिक सम्मेलन है। इसके पहले समाज का सम्मेलन लगभग 15 साल पहले बाईपास स्थित ईदगाह में हुआ था। सम्मेलन में निकाह होने वाले पर जोड़ों को घरेलू जरुरत का सामान, दुल्हन के जेवर सहित अन्य सामान भेंट किया। सम्मेलन में इटावा सुन्नत जमात कमेटी व सभी इटावा मुस्लिम समाज के लोगों ने सहयोग किया। इज्तिमाही सम्मेलन में इटावा शहर काजी मौलाना इकबाल ने सभी 19 जोड़ों को निकाह करवाया। सम्मेलन में सहयोग करने वाले सभी लोगों का साफा बंधवाकर, माला पहनाकर मोमेंट तो देकर इस्तकबाल किया गया। सम्मेलन में लगभग 8 हजार लोग शरीक हुए।

इटावा. सम्मेलन में निकाह कराते हुए। पत्रिका

...या काबू

...निशमन कर्मचारी

...क्षेत्र में ...या काबू

...ग्निशमन टीम ने मौके पर पहुंच ...र आग पर काबू पाया। आग बुझाने ...लों में अग्निशमन दल से अब्दुल ...फार, चुन्नी सिंह, संदीप, अमित ...टी, रवि कुमार लौट, महावीर, ...नोद, रिया शामिल रहे। वहीं दूसरी ...वना 6:23 बजे सेंटाब रोड आग ...सूचना मिली। इस पर दल ने मौके ...पहुंच कर आग पर काबू पाया।

बस की टक्कर से मोटर साइकिल सवार की मौत

बूढादीत. बड़ौद कस्बे के पास एक बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इससे मोटरसाइकिल चालक की मौत हो गई। एएसआई नन्दलाल सैनी ने बताया कि टोंक जिले के रानीपुरा निवासी हेमेन्द्र सिंह नरुका (44) कोटा से बड़ौद की और आते समय रास्ते में बस ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। उसे सुल्तानपुर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

सेन समाज के लोगों ने निकाली कलश यात्रा

...ुल्तानपुर. सेन समाज द्वारा निकाली गई कलशयात्रा।

...ल्तानपुर. नगर में रविवार को सेन समाज द्वारा सेन ...यंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर नगर के ...जी मैरिज गार्डन से बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा शुरू ...

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्लॉट-2 (ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा-324004

E-mail:-rorpcb-kota@gmail-com Ph.:0744-2490873

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रीलय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ए.एस.आई. हाऊस, कुदायला औद्योगिक क्षेत्र, जिला कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा ". Proposed Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project, 08 mining leases having total Cluster Area 37.9149 Hectare" हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। चूंकि, मैसर्स ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Proposed Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project, 08 mining leases having total Cluster Area -37.9149 Hectare, Tehsil & Ramganjmandi, District-Kota" के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत् भारत सरकार के पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना से संबधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों मे उपलब्ध है: - (1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। (2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। (3) कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा। (4) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, A-218, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर। (5). क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा। (6) जिला उद्योग केन्द्र, कोटा। (7) कार्यालय जिला परिषद, रामगंजमण्डी। (8) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा। (9) कार्यालय पंचायत समिति खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा। (10) कार्यालय ग्राम पंचायत-लक्ष्मीपुरा, कुम्भकोट, सातलखेड़ी, कुदायला, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील-रामगंमण्डी, जिला-कोटा। अतः सर्व साधारण को इस नोटिस के माध्यम से एत्दद्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.2024 को "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र," ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील-रामगंजमण्डी, जिला-कोटा में समय प्रात: 11.00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप, कोविड-19 के सन्दर्भ में जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए, प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध मे लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा, प्लॉट-2 (ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा (E-mail:rorpcb.kota@gmail.com) के साथ-साथ मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से-(अमित सोनी)
क्षेत्रीय अधिकारी

CLASSIFIED

CAREER EXPRESS

Samyak
An Institute For Civil Services
आज से बैच प्रारम्भ
ऑफलाइन व Live From Classroom
RAS FOUNDATION
PSI PAPER-1st & 2nd

MX2C+PQ9, Kudayla, Rajasthan 32651...
Lat 24.651872° Long 75.971686°

परिशिष्ट–ब

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण

प्लॉट–2 (ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा–324004
E-mail:-rorpcb.kota@gmail.com 0744-2490873

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स ए.एस.आई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ए.एस.आई. हाउस, कुदायला औद्योगिक क्षेत्र, जिला कोटा (राज.) द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Proposed Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Project, 08 mining leases having total cluster Area-37,9149 Hectare" हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

चूंकि, मैसर्स ए.एस.आई. इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा " Proposed Cluster Kumbhkot, Laxmipura, Satalkheri, Durjanpura & Kudayala Lime Stone (Dimensional) Mining Projetc, 08 mining leases having total Cluster Area-37.9149 Hectare, Tehsil-Ramganjmandi, District-Kota" के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत् भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:–

(1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4–संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
(3) कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा।
(4) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरका, ए–218, अरण्य भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर।
(5) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा।
(6) जिला उद्योग केन्द्र, कोटा।
(7) कार्यालय जिला परिषद, रामगंजमंडी।
(8) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा।
(9) कार्यालय पंचायत समिति खैराबाद, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा।
(10) कार्यालय ग्राम पंचायत–लक्ष्मीपुरा, कुम्भकोट, सातलखेड़ी कुदायला, पंचायत समिति–खैराबाद, तहसील–रामगंजमंडी, जिला–कोटा।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि ये उक्त परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन–सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.2024 को भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील–रामगंजमंडी, जिला कोटा में समय प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप, कोविड–19 के संदर्भ में जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा, प्लॉट–2 (ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा (E-mail:-rorpcb.kota@gmail.com) के साथ–साथ मुख्यालय, 4–संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से
अमित सोनी, क्षेत्रीय अधिकारी

परिशिष्ट–द

कार्यालय ग्राम पंचायत सातलखेड़ी
GPS Map Camera
Satalkheri, Rajasthan, India
M242+7CC, Satalkheri, Rajasthan
326530, India
Lat 24.655762° Long 76.000654°
Google

कार्यालय ग्राम पंचायत कुदायला
GPS Map Camera
Kudayla, Rajasthan, India
MX2C+PQ9, Kudayla, Rajasthan 326519, India
Lat 24.651872° Long 75.971686°
Google

GPS Map Camera
Laxmipura, Rajasthan, India
J2H3+VX6, Julmi Rd, Laxmipura,
Rajasthan 326519, India
Lat 24.629347° Long 76.00461°
Google

A.D.M., Kota
R.O., RPCB, Kota

STRONG

मखबर

ग्राम पंचायत, लक्ष्मी

पंचायत समिति खैराबाद, जिला कोटा (राज.)

परिशिष्ट–य

मो. 9799801188
8209900462

(उपसरपंच)
लक्ष्मणसिंह सिसोदिया
निवास : ठि. लक्ष्मीपुरा, जिला कोटा (राज.)

सत्यमेव जयते

सेवा मे,
श्री मान कलेक्टर सा० महोदय
कोटा (ग्रामीण)

दिनांक 11/6/2024

Cluster Jamunwali
11/6/24

श्री मान जी से निवेदन है कि गांव दुर्जनपुरा के विद्यालय मे ए० एस आर (कम्पनी) के कर्मचारी गणो ने. गांव दुर्जनपुरा मे विद्यालय मे एक कमरा बनाने की बात रखा था लेकिन आज तक कम्पनी के कर्मचारीयो ने आज तक उसका निर्माण नही करवाया है. अतः श्री मान जी से निवेदन है कि जो कम्पनी के कर्मचारीयो ने निर्माण करवाने की कही थी उसकी एक कमरे के निर्माण की व्यवस्था करवायी जावे ताकि कम्पनी मे काम करने वाले श्रमिको के बच्चो की पढ़ाई व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके. ग्रामीण वासी सदैव. आपके आभारी रहेंगे व, एक वाटर कुलर की भी व्यवस्था की जावे जिससे विद्यालय मे पढ़ने वाले बच्चो को पानी की व्यवस्था हो सके.

लक्ष्मण सिंह
उप–सरपंच
ग्राम पंचायत, लक्ष्मीपुरा
जिला–कोटा (राज)

ग्राम पंचायत, लक्ष्मीपुरा

पंचायत समिति खैराबाद, जिला कोटा (राज.)

मो. 9799801188
8209900462
(उपसरपंच)
लक्ष्मणसिंह सिसोदिया
निवास : ठि. लक्ष्मीपुरा, जिला कोटा (राज.)

सत्यमेव जयते

सेवा मे,
श्री मान जिला कलक्टर महो.
कोटा (ग्रामीण)

दिनांक 11/6/2024

Cluster-Jambupuri
ASE
for all by
11/6/24

सेवा मे

श्री मान जिला अधिकारी महोदय
कोटा (ग्रामीण)

विषय - विद्यालय मे ट्यूबवेल व वाटर कूलर लगवाने बाबत्

निवेदन है कि गांव लक्ष्मीपुरा मे कक्षा 1 से लेकर 12 वी तक कक्षाये है, जिसमे आस पास के गावो के बच्चे पढ़ने के लिये आते है, लेकिन विद्यालय मे पीने के पानी की व्यवस्था नही होने से स्कूल के बच्चे पीने के पानी के लिये बहुत परेशानी होती है अतः श्री मान जी से निवेदन है कि ए. एस आई कम्पनी के द्वारा एक ट्यूब वेल व वाटर कुलर लगवाने की कृपा करे ताकि कम्पनी मे काम करने वाले श्रमिको के स्कूल मे पढ़ने वाले बच्चो को सुविधा मिल सके ग्रामीन वासी सदैव आपके आभारी रहेंगे।

ग्रामीण वासी
① फूलचन्द
नेहरा मेघवाल
रामकरण

लक्ष्मणसिंह
उप-सरपंच
ग्राम पंचायत, लक्ष्मीपुरा
जिला-कोटा (राज.)

कार्यालय ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा

पंचायत समिति खैराबाद, जिला कोटा (राज.)

प्रेषक :- मो. 7742470502
9785934901

सरपंच
गुमानसिंह सिसोदिया
ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा, जिला कोटा (राज.)

सत्यमेव जयते

सेवा में,
Tanumrai Cluster Kumarkot, Satalkedi, Durgapura, Kudayun, Laxmipura
for u/s
11/6/2024

क्रमांक : ग्रा.प./ 81/[illegible]/2024 दिनांक 11/6/2024

मान्यवर,

उपरोक्त विषय में लेख है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत पांच गांव आते हैं जो किसी न किसी रूप में ~~इसकी~~ पांचों गांव के श्रमिक व मजदूर आपकी कंपनी में कार्य करते हैं लेकिन उनको कोई भी किसी भी प्रकार कि मूलभूत सुविधाएं AS। कंपनी द्वारा उपलब्ध नही करवाई जा रही है पीने के पानी के लिए लोग तरसते है, नाही मेडिकल व्यवस्था है, और नाहि बिमार आदमीयों के लिए मेडिकल व एंबुलेंस व्यवस्था है बिना सुविधा के कारण बिमारी व मौत के शिकार हो जाते है. और AS। कंपनी द्वारा पर्यावरण के लिए नाही कोई पेड-पौधे लगाए जा रहे है और नाही कोई पर्यावरण संयोजन हेतु कोई व्यवस्था कि गई है, । मजदूरों के बच्चों के लिए AS। कंपनी द्वारा आज तक नाही स्कूल भवन बनाया गया और नही किसी प्रकार का प्रोत्साहन कंपनी द्वारा किया जा रहा है।

इन सब बातो का ध्यान रखते हुए पेयजल व्यवस्था हेतु चारो गांवो में चार-चार वाटर कूलर लगाए जाए एवं दुर्गापुरा स्कूल में बच्चों को पढने के लिए कक्षा-हॉल बनाया जाए एवं नयी बाउण्ड्री का निर्माण किया जाए तथा पर्यावरण सुधार के लिए पेड-पौधे लगाए जाएं और जिसकी कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा ही रहेगी।

[illegible]

P.T.O.

बच्चों के खेलकूद एवं विभिन्न गतिविधियों के लिए ~~[illegible]~~ गठित बनाया जाए, एवं मजदूरों के लिए पौष्टिक आहार के लिए फिर-उपलब्ध करवाये जाएं। और मजदूरों का जो भी हक बनता है उन्हें दिलाया जाए जिससे उनके जीवन में खुशहाली आ सके।

इन सम्पूर्ण कार्य करवाने के लिए कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत को ही रखा जाए।

धन्यवाद

कार्यालय ग्राम पंचायत खान सातलखे

पंचायत समिति खैराबाद (जिला कोटा-राज.)

सुषमा कुमारी

सरपंच

Mobile: 83023-81098

निवास

सातलखेड़ी

तह. रामगंजमंडी जिला कोटा (

Junsuvai cluster ASR ... double as applicable

क्रमांक/ग्रा.पं./ 394 दिनांक 11/06/

सेवा में,

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,
कोटा (राजस्थान)

विषयः– ए.एस.आई. (के) लि. कुदायला (रामगंजमंडी) जिला कोटा राजस्थान प्रस्तुत पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत , सातलखेडी की ओर से आपत्ति पत्र प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ :– RPCB/RO KOTA/Mines-233/210 Dt. 25/04/2024 के सन्दर्भ में ।

महोदय,

सांदर निवेदन है ए.एस.आई. कम्पनी (के) लि. कुदायला(रामगंजमंडी) द्व पर्यावरणीय स्वीकृति चाहने हेतु श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, राजस्थान राज्य प्रदू नियंत्रण मण्डल कोटा के कार्यालय मे पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया इस सम्बंन्ध में ग्राम पंचायत सातलखेडी की और से निम्न आपत्ति पत्र प्रस्तुत करती हूँ :–

1– यह कि ए.एस.आई. (के) लि. कुदायला (रामगंजमंडी) जिला को राजस्थान की एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसकी काफी लम्बा चौड़ा खनन क्षेत्र आवंटित कि हुआ है किन्तु उक्त कम्पनी के अधिकारीयो द्वारा कई बीघा सरकारी चारागाह एवं आबा की भूमि को अपने क्षेत्र मे मिलाकर उक्त क्षेत्र में अवैध खनन दोहन किया जा रहा है सरकार को लाखो रूपये की रायल्टी का नुकसान पहुचाया जा रहा है किन्तु इस सम्बन्ध आज तक माइंस विभाग ने कोई ध्यान नही दिया तथा अवैध ब्लास्टिग की जा रही है जिस खान के आस–पास स्थित मकानो को काफी नुकसान पहुँचाया जा रहा हैं कई मकानो दरारे आ चुकी है तथा मकान भी क्षतिग्रस्त चुके है।

2– यह कि कम्पनी द्वारा माइन्स में अवैध रूप से सुखी ड्रिलिंग (ड्रीप हो हेवी ब्लास्टिंग) करने से धुल मिटटी उड़ती हैं जिससे खान क्षेत्र के आस पास रहने वाले कार्य करने वाले श्रमिक को काफी गम्भीर बीमारीयो का सामना करना पड़ रहा है त उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा हैं। पब्लिक पेलेस , ट्रांसपोटेशन रास्ते पब्लिक के म होकर गुजर रहे हे वहॉ पर पानी का छिडकाव नही किया जाता जिससे टी.वी. सिलोकोसिस नामक बीमारी से मजदूर व आसपास के निवासी ग्रसित हो चुके हैं।

कार्यालय ग्राम पंचायत खान सातलखे

पंचायत समिति खैराबाद (जिला कोटा-राज.)

सुषमा कुमारी

सरपंच

Mobile: 83023-81098

निवास :

सातलखेड़ी

तह. रामगंजमंडी जिला कोटा।

दिनांक....................

क्रमांक/ग्रा. पं./..............................

3– यह कि नियमानुसार गाडीयो मे श्रमिको के द्वारा कोटा स्टोन लोडिग किया जाता है जिसमे श्रमिक के रूप मे महिला व पुरुष दोनो के द्वारा माल लो किया जाता है । एक यूनिट का वजन 100–120 किलो तक होता है । इस दौरान अत्यां वजन होने की वजह से काफी श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है तथा कई श्रमिक मृत्यु शिकार हो चुके है । वर्तमान मे भी पूरी सम्भावना बनी रहती है।

4– यह कि माइंस मे बैंच की ऊँचाई अधिक होने के कारण रात्रि में व करने वाले मजदूरो के ऊपर पत्थर गिरने की घटना बनी रहती है । क्योकि रात्रि में प दिखाई नही देते है। जिससे मजदूरो की जान का खतरा बना रहता है।

5– यह कि माइंस क्षेत्र में ऊपरी भाग में पत्थर गिरने से रोकथाम हेतु व बाउण्डरीवाल नही है जिससे कार्य करते हुये मजदूरो पर पत्थर गिरने का भय बना रहता

6– यह कि रात्रि मे पत्थर मे कट लगाने के लिये झीरी मशीने चलाई ज है तब इलेक्ट्रिनिक सुपरवीजन पावर सप्लाई को चैक करने के लिये ओर उनका मेन्टेने देखने के लिये कोई प्रशिक्षित कर्मचारी नही रखा हुआ है। इस कम्पनी द्वारा माइंस मे अ तरीके से रात्रि में माइंस में श्रमिको द्वारा कार्य करवाया जाता है तथा माइंस में अवैध तर से झिरी मशीने एवं शावल मशीने, आदि को चलाते हैं। उक्त मशीने चलाये जाने से का ध्वनि प्रदूर्षण , वायु प्रर्दुषण होता है तथा रात्रि में माइंस पर श्रमिको के साथ दुर्घटना ह का पूरा–पूरा अंदेशा बना रहता हैं।

7– यह कि डम्पर जब मलबा खाली करने हेतु डम्पिंग यार्ड मे जाता है व पर लाईट की कोई व्यवस्था नही है । इस कारण रात्रि में कई बार डम्पर गिर चुके है त दुर्घटना हो चुकी हैं। खान क्षेत्र मे रात्रि के समय दुर्घटना होने पर कोई फस्टएड हेतु क प्रशिक्षित कम्पाउण्डर नियुक्त नही है।

8– यह कि कम्पनी द्वारा अवैध तरीके से खनन कार्य कर माइंस के निय का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा हैं। जब कोई भी जॉच अधिकारी यहॉ पर जो हेतु आता है तो कम्पनी द्वारा रात्रि के समय माइंस मे कार्य को बंद कर दिया जाता है त माइंस के रास्ते पर पानी छिडकाव कर दिया है ।

कार्यालय ग्राम पंचायत खान सातलखे

पंचायत समिति खैराबाद (जिला कोटा-राज.)

सुषमा कुमारी
सरपंच
Mobile : 83023-81098

निवास :
सातलखेड़ी
तह. रामगंजमंडी जिला कोटा (

दिनांक....................

क्रमांक/ग्रा. पं./..............................

9— यह कि कार्यरत श्रमिको के लिये रेस्ट सेन्टर व स्वच्छ पानी पीने कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

10—यह कि सातलखेडी माइंस, लक्ष्मीपुरा माइंस, कुम्भकोट माइंस, सु माइंस में मात्र एक ही एम्बुलेस है ।

11— यह कि कम्पनी द्वारा अवैध खनन कार्य करने के कारण भारी मात्र पर्यावरण प्रदूर्षित हो रहा हैं तथा पेड़ पौधो को काफी नुकसान हो रहा है तथा कम्पनी द हरे भरे वृक्षो को मलबे के नीचे दबा दिया गया है ।

12— यह कम्पनी द्वारा गहराई मे खनन कार्य करने के कार्य आस पास गांव को जल स्तर समाप्त हो गया है तथा गांव सातलखेडी मे पीने के पानी की सम बनी रहती है तथा हेण्ड पम्प पानी की जगह हवा फेक रहे हैं।

13— यह कि कम्पनी द्वारा श्रमिक बस्ती में पीने के पानी की कोई व्यव नही की जा रही है ।

अतः श्रीमान् की सेवा में आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचा सातलखेडी की और से आपत्ति दर्ज करने की कृपा करें।

दिनांकः—

—: प्रार्थीया :—

सुषमा कुमारी
सरपंच
ग्राम पंचायत सातलखेडी तह0 रामगंजमंडी
जिला कोटा (राज.)
मो.नं. 9829609993,8302381098

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1— श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा।

2— श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, रामगंजमंडी।